छत्तीसगढ़ शासन

तकनीकी शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़

<u>डिप्लोमा लेटरल एण्ट्री प्रवेश सत्र</u>

2016–17

छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित समस्त पॉलीटेक्निक संस्थाओं
में संचालित इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में
लेटरल एण्ट्री के तहत अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश के नियम
एवं प्रक्रिया

तकनीकी शिक्षा संचालनालय
तृतीय खण्ड, तृतीय/चतुर्थ मंजिल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)
दूरभाष 0771–2221376 फेक्स 0771–2331331
website-www.cgdteraipur.ac.in

महत्वपूर्ण निर्देश

अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता काउंसिलिंग के समय होती है अतः काउंसिलिंग के पूर्व ही निम्नानुसार दस्तावेजो को सक्षम अधिकारी से बनवाकर रख लें, ताकि काउंसिलिंग के समय असुविधा न हो :-

- छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाणपत्र
- स्थायी जाति प्रमाणपत्र (अस्थायी स्वीकार्य नहीं)
- दसवीं/बारहवीं की अंकसूची
- आई.टी.आई. की अंकसूची
- काउंसिलिंग कार्यक्रम एवं रिक्त सीटों की अद्यतन जानकारी हेतु संचालनालय तकनीकी शिक्षा की अधिकृत वेबसाइट- www.cgdteraipur.ac.in का अवलोकन करें
- काउंसिलिंग सामान्यतया जून एवं जुलाई माह में होती है परंतु इसमें परिवर्तन हो सकता है। कृपया समाचार पत्रों का नियमित अवलोकन करते रहें।
- लेटरल एंट्री में प्रवेशित अभ्यर्थियों को तकनीकी विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के समस्त विषयों का अध्ययन कर इन विषयों की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इसके लिए प्रवेश लेने से पूर्व छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
::- मंत्रालय -::

अधिसूचना

क्रमांक/एफ-.................................

दिनांक .... :: छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008 में निहित निर्देशों के पालन में निजी क्षेत्र के पॉलीटेक्निक संस्थाओं में संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में सत्र 2016-17 में प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांको के मेरिट के आधार पर होंगे। इसके लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा की आवश्यकता नहीं रहेगी। अर्हकारी परीक्षा के आधार पर विभिन्न संस्थाओं में प्रवेश की कार्यवाही काउंसिलिंग/ऑनलाइन काउंसिलिंग के माध्यम से किये जायेंगे इस हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं :- इन्हीं नियमों के आधार पर शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं में भी प्रवेश होंगे।

2.1 **संक्षिप्त नाम** : ये नियम 'छत्तीसगढ़ डिप्लोमा पाठयक्रम लेटरल एण्ट्री (द्वितीय वर्ष) प्रवेश नियम 2016 कहलायेंगे। इन नियमों को एतस्मिन पश्चात 'प्रवेश नियम' कहा गया है।

2.2 **विस्तारः** ये नियम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमोदित एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित शासकीय व निजी संस्थानों पॉलीटेक्निक संस्थानों पर एवं उनमें संचालित डिप्लोमा पाठयक्रमों के द्वितीय वर्ष में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों पर लागू होंगें।

2.3 **परिभाषायें :-**

इन नियमों में, जहां तक संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ निम्नानुसार होगा :-

1. 'प्रवर्ग' का तात्पर्य है छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति प्रवर्ग (SC- Scheduled Caste), अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग (ST- Scheduled Tribe) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC- Other Backward Class) (क्रीमीलेयर को छोड़कर) जो इन तीनों प्रवर्ग में नहीं आता उसे अनारक्षित प्रवर्ग (UR- Un Reserved) माना जायेगा।
2. 'सक्षम प्राधिकारी' (स.प्रा.) का अभिप्रेत है ऐसा आधिकारी जिसे राज्य शासन द्वारा काउंसिलिंग कार्य हेतु सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है।
4. 'प्राचार्य' का तात्पर्य है संस्था प्रमुख।
5. 'छत्तीसगढ़' का तात्पर्य है छत्तीसगढ़ राज्य जो केन्द्र शासन की अधिसूचना के कारण दिनांक 01.11.2000 को अस्तित्व में आया।
6. 'अ.भा.त.शि.प.' का तात्पर्य है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली।
7. 'संचालक' का तात्पर्य है संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर।
8. 'अभ्यर्थी' या 'उम्मीदवार' से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो इन नियमों के अंर्तगत प्रवेश हेतु इच्छुक है।
9. 'प्रायोजित अभ्यर्थी' (Sponsored Candidate) से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो इन नियमों के अंर्तगत प्रवेश हेतु इच्छुक है एवं जो राज्यशासन/ केन्द्रशासन/किसी पंजीकृत कम्पनी/संस्था में पूर्णकालिक अथवा संविदा पर कम से कम 2 वर्ष से नियोजित है तथा जिसे नियोक्ता/प्राधिकारित अधिकारी द्वारा पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने तथा अध्ययन करने हेतु अनुमति दिया गया हो।

2.4 (अ) प्रवेश हेतु सीटों का आबंटन - विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की सीटों को सत्र 2016-17 के लिये निम्नानुसार 2 प्रकार के कोटा में विभाजित किया गया है :-

विवरण	CG	MGT
निजी संस्थायें	85	15
शासकीय संस्थायें	100	NIL

(1) छत्तीसगढ़ राज्य कोटा (C.G. Quota) :— इस कोटा के अंतर्गत छ.ग. के मूल निवासी छात्रों को प्रवेश दी जायेगी। इस कोटे पर प्रवेश की कार्यवाही केन्द्रीय काउंसिलिंग के माध्यम से संचालनालय द्वारा की जायेगी।

(2) मेनेजमेंट कोटा (Mngt. Quota) :— इस कोटे के अंतर्गत छ.ग. राज्य के छात्र ही प्रवेश हेतु पात्र हैं। इस कोटे पर प्रवेश संस्था स्तर पर होंगे। इस कोटे में भी प्रवेश के लिए भी शेष संपूर्ण नियम लागू रहेंगे।

टीपः- 1 निजी संस्थाओं में मेनेजमेंट कोटा की व्यवस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण क्रमांक Special leave toAppeal (Civil) 26436/2012 के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

2 कोई संस्था स्वेच्छा से मेनेजमेंट कोटा की समस्त सीटों को छत्तीसगढ़ राज्य कोटा में समर्पण कर सकता है। आंशिक समर्पण मान्य नहीं है। इसके लिए संस्था को काउंसिलिंग प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व आवेदन करना होगा।

2..4 (ब) <u>उपलब्ध स्थान एवं इंजीनियरिंग शाखाएं :-</u>

संस्थाओं में पिछले सत्र 2015-16 में प्रथम वर्ष में स्वीकृत सीटों का 20 प्रतिशत सांख्येत्तर (Over &Above) सीट लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु उपलब्ध रहेंगे।

Table-1 में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित शासकीय एवं निजी पालीटेक्निक संस्थाओं में इंजीनियरी डिप्लोमा पत्रोपाधि पाठयक्रमों में सत्र 2016-17 में द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु उपलब्ध कुल स्थानों की संख्या दर्शाई गई है। संस्था/सीटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

2.5 सीटों का आरक्षण :-

2.5.1. **उर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation)**

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्गों के लिए :-

शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं एवं निजी पॉलीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (*क्रीमीलेयर* को छोड़ कर) प्रवर्गों के लिए क्रमशः 12, 32 एवं 14 प्रतिशत सीटों पर आरक्षण है। शेष 42 प्रतिशत सीटें अनारक्षित (UR) रहेंगी। इन अनारक्षित सीटों पर मेरिट के आधार पर किसी भी प्रवर्ग का (SC/ST/OBC/GEN) अभ्यर्थी प्रवेश पा सकता है। यदि किसी SC/ST अथवा OBC प्रवर्ग के छात्र को मेरिट के आधार पर अनारक्षित UR सीट मिलती है तो उसे UR में ही सामायोजित किया जायेगा एवं आरक्षित सीट को यथावत रहने दिया जायेगा। आरक्षण के संबंध में समय समय पर शासन के आदेश/अधिसूचना लागू होगा। आरक्षित सीटों की जानकारी काउंसिलिंग के समय दी जाएगी।

ऐसा अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग (*क्रीमीलेयर* को छोड़ कर) प्रवर्ग में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है उसे समय समय पर छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आरक्षण संबंधी नियमों एवं/अथवा निर्देशों में विहित सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित श्रेणी में प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी तथापि मेरिट के आधार पर अनारक्षित सीट पर प्रवेश की पात्रता रहेगी।

टिप्पणी -

(अ) विभिन्न आरक्षित प्रवर्गों में से अभ्यर्थी केवल एक ही प्रवर्ग में आरक्षण का दावा कर सकता है।

(ब) जिस प्रवर्ग में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(स) उम्मीदवार द्वारा प्रवर्ग में आरक्षण हेतु विकल्प प्रस्तुत करने के बाद किसी भी स्थिति में उसे निरस्त या उसमें परिवर्तन नहीं किया जावेगा

2.5.2 **क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)**

'सैनिक वर्ग', 'स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग' एवं 'निःशक्तता से बाधित' अभ्यर्थियों के लिये

सीटों की संख्या कम होने के कारण क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) नहीं रहेगा।

महिला अभ्यर्थी हेतु आरक्षण :- शासकीय संस्थाओं की छत्तीसगढ़ कोटा की सीटों में प्रत्येक प्रवर्ग (SC, ST, OBC, UR) के अंतर्गत महिला अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु 30 प्रतिशत सीटों का प्रवर्गवार आरक्षण उपलब्ध रहेगा। **प्रत्येक संस्था में महिला अभ्यर्थियों** के लिए आरक्षण यथासंभव संस्थावार एवं ब्रांचवार होगा। माइनिंग शाखा में केवल पुरुष अभ्यर्थी को प्रवेश की पात्रता है अतः इन सीटों में महिला आरक्षण नहीं है। किसी भी प्रवर्ग के अंतर्गत महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा। निजी संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं है। आरक्षित सीटों की जानकारी काउंसिलिंग के समय दी जाएगी।

2.6 प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें :-

2.6.1 **शैक्षणिक अर्हता** :-

(अ) मान्यता प्राप्त संस्थान/बोर्ड से 12वीं की कक्षा विज्ञान (गणित अनिवार्य) विषय के साथ अथवा 12वीं की कक्षा विज्ञान विषय एवं समुचित व्यावसायिक/तकनीकी (Vocational/Technical) विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अथवा

(ब) मान्यता प्राप्त संस्थान/बोर्ड से 10 वीं उत्तीर्ण एवं समुचित तकनीकी ट्रेड के साथ 2 वर्षीय आई.टी.आई. प्रमाण-पत्र (NCVT/SCVT से जारी) परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

समुचित वोकेशनल/तकनीकी विषय एवं समुचित तकनीकी ट्रेड की सूची बिंदु 2.7 ब में दी गई है।

2.6.2 **छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी होने की आवश्यकता** :-

छत्तीसगढ़ कोटा में छत्तीसगढ़ के स्थानीय अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु प्राथमिकता दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी छत्तीसगढ़ राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये निर्देशों के अंतर्गत यथापरिभाषित होगा एवं नीचे अन्यथा वर्णित को छोड़ सभी अभ्यर्थियों को तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार अथवा वरिष्ठतर अन्य सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा समय-समय पर राज्य शासन के निर्देशों के तहत जारी छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण पत्र ***(प्रारूप-5)*** के साथ जमा किया जाना अनिवार्य है। इस प्रमाण पत्र में प्रकरण क्रमांक, जारी करने की तिथि व न्यायालय/कार्यालय की सील, जारीकर्ता अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

छत्तीसगढ़ शासन के सार्वजनिक उपक्रमों, अर्धशासकीय निकायों तथा छत्तीसगढ़ के स्थानीय शासनों के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों के राज्य में या राज्य के बाहर पदस्थ होने पर तथा प्रारूप-6 में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उनकी संतानों को स्थानीय निवासी मान कर प्रवेश की पात्रता होगी।

भारत सरकार के कार्मिकों, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों, भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के कार्मिकों एवं केन्द्रीय अर्धशासकीय निकायों में कार्यरत कार्मिकों के छत्तीसगढ़ राज्य में इन नियमों के तहत आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि के पूर्व पदस्थ होने पर तथा प्रारूप-7 में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उनकी संतानों को भी छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी मान कर प्रवेश की पात्रता होगी।

भारत शासन/छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत पुनर्व्यवस्थापन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित पिता/माता के सन्तान भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी माने जायेंगे। ऐसे पुनर्व्यवस्थापित पिता/माता की सन्तानों को प्रारूप-8 में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अभिभावक की परिभाषा :

अभिभावकों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी अभ्यर्थी के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट (डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट) की राय में आवेदक के पिता और माता दोनों की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनो का वास्तविक संरक्षक/नियंत्रक हो। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का आदेश प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी के पिता

जीवित न हो परंतु माता जीवित हों तो माता को ही अभ्यर्थी का स्वाभाविक अभिभावक माना जाएगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

दत्तक संतान के विषय में स्पष्टीकरण :-

दत्तक संतानों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई आवेदक अनारक्षित अथवा आरक्षित प्रवर्ग में दत्तक संतान के आधार पर प्रवेश चाहे तो उसे दत्तक संतान होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिये आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के कम से कम पांच वर्ष पूर्व निष्पादित वैध दत्तकनामा (ॲडॉप्शन डीड) होगा, दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जाएगा जब तक उसकी संपुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक अथवा गत पांच वर्षो में आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण पत्र से नहीं हो जाती है। इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये उपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता/माता का नाम ही केवल मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदको के मामलों में आवश्यक होगा कि ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही रहें हों। ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हों तथा उन्हें किन्ही अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होगें।

2.6.3 आयु सीमा :- डिप्लोमा स्तर पर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु दिनांक 01.07.2016 को अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/निःशक्तता से बाधित /महिला अभ्यर्थियों के लिये आयु सीमा में अधिकतम तीन वर्ष की छूट रहेगी। प्रायोजित अभ्यर्थी लिए कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं है।

आयु सीमा का यह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों पर लागू नहीं होगा।

2.7 प्रवेश हेतु चयन प्रक्रिया :-

2.7 (अ) प्रवेश हेतु मेरिट का निर्धारण

अर्हकारी परीक्षा 12वीं कक्षा के विज्ञान/गणित एवं/अथवा समुचित व्यावसायिक/तकनीकी (Vocational/Technical) विषयों (हिन्दी एवं अंग्रेजी को छोड़कर) के कुल प्राप्तांकों (प्रेक्टिकल एवं सेशनल सहित) के प्रतिशत के आधार पर एवं आई. टी. आई. के प्रकरण में सामाजिक अध्ययन को छोड़कर शेष तकनीकी विषयों के कुल प्राप्तांकों (प्रेक्ट्रिकल एवं सेशनल सहित) के प्रतिशत के आधार पर प्रवेश हेतु मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। सीट आबंटन 12वीं एवं आई. टी. आई. को एक समान मानते हुए एकजाई मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

समान कुलांक प्राप्त परीक्षार्थियों की प्राविण्यता - समान प्राप्तांको वाले अभ्यर्थियों में से अधिक उम्र के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।

2.7 (ब) प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम प्रात्रता का निर्धारण :-

क्रमांक	डिप्लोमा पाठ्यक्रम का नाम जिसमे प्रवेश लिया जाना है	पात्रता हेतु समुचित 2 वर्षीय ITI ट्रेड का नाम	पात्रता हेतु 12 वीं स्तर पर व्यावसायिक/तकनीकी विषय के नाम
1	CDDM		1.Textile Science 2.DesigningAnd Pattern Making 3. Cloth Construction 4.Basic Design 5. Dyeing And Printing 6. Garment Making 7. Fashion Designing & Garment Making
2	Chemical Engg.	1Attendent /Operator (Chemical Plant) 2. Instrument Mechanic (Chemical Plant) 3. LaboratoryAssistant(Chemical Plant) 4. Maintenance Mechanic (Chemical Plant) 5. Process Plant Maitenance	
3	Civil Engg	1. Draftsman(civil) 2. Surveyor	1. Civil Engg.2. Building Construction

4	Computer Sc.& Engg.	1.Information Technology & Electronics System Maintenance 2. Mechanic Computer Hardware . 3.IT sector	1. ComputerApplication 2.I T system 3.Business Data Processing 4. DTP, CADAnd Multimedia, 5. ComputerApplication 6. Infomation Technology
5	Electrical Engg.	1. Electrician 2.Electroplater 3. Electrical Sector	1.Electrical Science.2.Electrical Machines 3.ElectricalAppliances. 4. Repair of Electric DomesticAppliancesAnd Electric motor rewinding
6	Electronics & Telecom. Engg.	1.Electronic Mechanic 2. .Information Technology & Electronics System Maintenance 3.Instrument Mechanic 4.Mechanic (Radio& T.V.) 5. Mechanic Consumer Electronics 6. Mechanic Industrial Electronics 7. Mechanic Mecatronics 8. Mechanic Medical Electronics 9. Mechanic cum Operator Electronics Communication System 10. Process Control &Intrumentation 11.IndustrialAutomation	1.Electronics DeviceAnd Circuits 2.Radio Engg.&Audio System 3. TelevisionAnd Video System 4. Textile Mechatronics 5.Repair of RadioAnd T.V.
7	Instrumentation	1. Instrument mechanic (Chemical Plant) 2. Instrument mechanic 3. Process Control &Intrumentation 4. IndustrialAutomation	
8	Information Tech.	1.Information Technology & Electronics System Maintenance	1. IT 2.I T system 3.Business Data Processing 4. DTP,CADAnd Multimedia 5. ComputerApplication
9	Mechanical	1Draftsman(Mechanical) 2. Fitter 3.Machinist 4. Lift Mechanic 5.Machinist (Grinder) 6. Maintenance Mechanic (Chemical Plant) 7.Marine Fitter 8. Mechanic Machine tools Maintenance 9. Mechanic Mecatronics 10.OperatorAdvanced Machine tools 11. Tools & Die Maker (Dies & Moulds) 12. Tools & Die Maker (Press tools jigs & Fixtures) 13. Turner 14. Mechanic (Refrigerator &Air Conditioner) 15. Mechanic (Motor) 16. Textile Mechatronics 17.Spinning Technician 18. Weaving Technician 19.Vessel Navigator 20. Fabrication Fitting & Welding. 21. IndustrialAutomation 22. Production& Manufacturing. 23. Process Plant Maintenance.24.Automobile	1. Auto Engg. 2.Auto Shop Repair & Practice 3. Fabrication 4.Automobile 5.Air conditioning & Refrigeration 6. Mechanical Engg.7. Moped Scooter Motorcycle repair 8. Welding Technology & Fabrication
10	Metallurgy	1.Electroplater	
11	Mining	1.Mechanic Mining Machinery	

टीप :- 1. समुचित तकनीकी ITI ट्रेड/Vocational/Technical subject को समान मानते हुये एकजाई मेरिट के आधार पर आबंटन किया जायेगा।

2. किसी तकनीकी ITI ट्रेड का नाम/Vocational /Technical subject के समतुल्य होने के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होने पर काउंसिलिंग समिति का निर्णय अंतिम होगा।
3. यह नियमित कोर्स है एवं नौकरी पेशा अभ्यर्थी को प्रवेश के लिए अपने नियोक्ता से इस संबंध में प्रायोजन प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। इनके लिए कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं है।
4. लेटरल एंट्री में प्रवेशित अभ्यर्थियों को तकनीकी विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के समस्त विषयों का अध्ययन कर इन विषयों की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इसके लिए प्रवेश से पूर्व वि.वि. से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
5. सेंटर ऑफ एक्सिलेंस योजना के अंतर्गत ITI से Multi Skill Modular Course के अंतर्गत एक वर्ष का BBBT, 6 माह का Advance Training तथा 6 माह का विशेष औद्योगिक प्रशिक्षण कुल मिलाकर 2 वर्ष का कोर्स भी 2 वर्षीय कोर्स के समान मान्य होगा। कुल अवधि 2 वर्ष से कम होने पर मान्य नहीं होगा।
6. 12 वीं विज्ञान (गणित अनिवार्य) विषय के अभ्यर्थी उपरोक्त सभी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र हैं।
7. MOM एवं Architecture में प्रथम वर्ष में प्रवेश 12 वीं के आधार पर होता है अतः इन पाठ्यक्रमों में लेटरल एंट्री का प्रावधान नहीं है।

2.8 प्रवेश प्रक्रिया (Admission Procedure)

2.8.1 बिंदु 2.7 अ के अनुसार अभ्यर्थियों को अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की गई प्राविण्यता क्रम सूचियों के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रवेश परामर्श/आनलाइन काउंसिलिंग द्वारा दिया जायेगा। काउंसिलिंग समिति सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित की जाएगी।

काउंसिलिंग हेतु उपस्थित होने के लिए काउंसिलिंग की तिथियॉ छत्तीसगढ़ के समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। अतः अर्हकारी परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पश्चात काउंसिलिंग की तिथियों की जानकारी हेतु अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ के प्रमुख समाचार पत्रों के अंक प्रतिदिन आवश्यक रूप से देखते रहें। काउंसिलिंग की तिथियों की जानकारी तकनीकी शिक्षा संचालनालय की अधिकृत वेबसाइट www.cgdteraipur.ac.in में भी देखी जा सकती है। इस संबंध में अभ्यर्थियों को अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जायेगी।

काउंसिलिंग के समय अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अर्हकारी परीक्षा अनुत्तीर्ण या पूरक (कम्पार्टमेंट) अभ्यर्थी काउंसिलिंग के पात्र नहीं होगे।

2.8.2 काउंसिलिंग हेतु निर्धारित फीस :- सभी अभ्यर्थियों को ऑन लाईन काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिये निर्धारित काउंसिलिंग शुल्क रु. 200/- (रुपये दो सौ केवल) की राशि जमा करना अनिवार्य है। जमा करने के माध्यम की जानकारी कॉउंसिलिंग के पूर्व वेब साईट www.cgdteraipur.ac.in पर दी जायेगी।

2.8.3 <u>ऑनलाईन काउंसिलिंग की प्रक्रिया :-</u>

1. ऑनलाईन कॉउंसिलिंग के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया की जानकारी कॉउंसिलिंग के पूर्व वेबसाईट www.cgdteraipur.ac.in पर दी जायेगी।

2. दस्तावेज परीक्षण कराना (Document Verification) –

संस्था आबंटन से पूर्व आपके दस्तावेजों का परीक्षण होना अनिवार्य है, इसके बिना आबंटन हेतु विचार नहीं किया जायेगा। दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है। दस्तावेज परीक्षण का कार्य संचालनालय द्वारा निर्धारित दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों में से किसी भी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में कराया जा सकता है। ध्यान रहे कि यदि आपने विकल्प तो भरा है परंतु दस्तावेजों का परीक्षण नहीं कराया है तो आपका प्रकरण आबंटन हेतु विचार नहीं किया जायेगा क्योंकि DVC द्वारा आपका आवेदन कन्फर्म करने के पश्चात् ही आपका विकल्प डाटाबेस में आयेगा (दस्तावेज परीक्षण केन्द्र कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में खुले रहेंगे, केवल दोपहर 1.30 से 2.00 बजे के मध्य भोजनावकाश रहेगा)।

दस्तावेज परीक्षण के समय भी यदि आपको लगता है कि आपने विकल्प गलत भर दिये हैं अथवा उनके क्रम अलग दे दिये हैं तो दस्तावेज परीक्षण कार्य को ऑनलाईन दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा कन्फर्म करने से पूर्व आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। जो अंतिम बदलाव होगा वही मान्य होगा। एक बार दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा आपका आवेदन कन्फर्म कर देने के पश्चात् फिर विकल्प में फेरबदल नहीं हो सकता।

दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों की सूची निम्नानुसार है :-
(सूची में परिवर्तन हो सकता है। जिसकी जानकारी वेबसाइट में दी जायेगी)

स. क्र.	दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों का नाम एवं पता	जिला	दूरभाष क्रमांक	स. क्र.	दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों का नाम एवं पता	जिला	दूरभाष क्रमांक
1	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय सेजबहार रायपुर	रायपुर	0771-2421376	12	रामकृष्ण राठौर शासकीय पॉलीटेक्निक, जांजगीर, पेन्ड्री	जांजगीर	07817-222456
2	शासकीय पॉलीटेक्निक, अंबिकापुर, मनेन्दगढ़ नाका, अंबिकापुर	सरगुजा	07774-220609	13	किरोड़ीमल शासकीय पॉलीटेक्निक, रायगढ़, चक्रधर नगर, रायगढ़	रायगढ	07762-222737
3	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर, कोनी, बिलासपुर	बिलासपुर	07752-260289	14	शासकीय पॉलीटेक्निक, कबीरधाम, पुराना जिला पंचायत भवन, कबीरधाम	कबीरधाम	07741-232636
4	शासकीय पॉलीटेक्निक, भकरूपुर, नारायणपुर	नारायनपुर	07781200078	15	इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, कोरबा, बालको, उरगा, रिंग रोड, कोरबा	कोरबा	07759-659874
5	शासकीय पॉलीटेक्निक, तखतपुर, मेन रोड, तखतपुर	बिलासपुर	07753-264963	16	शासकीय पॉली., महासमुन्द, बी. टी.आई. रोड, महासमुन्द	महासमुन्द	07723-224818
6	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जगदलपुर ,धरमपुरा नं- -2, जगदलपुर	बस्तर	07782-229436	17	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक बायरन बाजार, रायपुर,	रायपुर	0771-2423045
7	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, धरमपुरा नं.-2, जगदलपुर	बस्तर	07782-229230	18	मिनीमाता शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक तहसील कार्या., राजनांदगॉव,	राजनांदगॉव	07744-292955
8	भोपाल राव पवार शासकीय पॉलीटेक्निक, धमतरी, रूद्री, धमतरी	धमतरी	07722-237618	19	शासकीय पॉलीटेक्निक, खैरागढ़, मेन रोड, खैरागढ़	राजनांदगॉव	07820-234010
9	उदय प्रसाद उदय शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग, जी.ई. रोड, दुर्ग	दुर्ग	0788-2323548	20	शासकीय पॉलीटेक्निक, गरियाबंद	गरियाबंद	07706241303
10	शासकीय पॉलीटेक्निक रामानुज उच्च. मा.शाला भवन, बैकुन्ठपुर	कोरिया	07836232070	21	शासकीय पॉलीटेक्निक पुराना कोर्ट भवन कांकेर	कांकेर	07868222081
11	शासकीय पॉलीटेक्निक ,शास. एन.ई. एस. पी.जी. कालेज केम्पस, जशपुर	जशपुर	07763220051	22	शासकीय पॉलीटेक्निक वेंकटराव कालेज केंपस, बीजापुर	बीजापुर	07853220015

यह हो सकता है कि किसी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या आ रही हो ऐसा होने पर किसी अन्य नजदीकी संस्था में जाकर दस्तावेज परीक्षण कराया जा सकता है।

2 (अ) दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास सारे आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं एवं आपने उसके एक सेट फोटो कॉपी करा लिये हैं। जो दस्तावेज आपको लेकर दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जाना है वे निम्नानुसार हैं :-

सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य दस्तावेज - सभी प्रमाण पत्रों के मूल (Original) एवं 1 सेट फोटोकॉपी लेकर जाना अनिवार्य है परंतु मूल प्रमाण पत्र DVC में जमा नहीं करना है। केवल दिखाना है एवं वापस प्राप्त करना है। सभी प्रमाण पत्र वापस प्राप्त करने की जिम्मेदारी स्वयं छात्र की रहेगी।

1. कम्प्यूटर से प्रिंट किया गया एप्लीकेशन कम ऑप्शन फार्म की प्रति।
2. 10वीं की अंकसूची अथवा जन्म प्रमाण पत्र।
3. 12वीं/ITI की अंकसूची (यदि मूल अंकसूची न हो तो इंटरनेट से निकाला हुआ भी ला सकते हैं)। दस्तावेज परीक्षण के दिन अभ्यर्थी को 12वीं/ITI उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, **<u>पूरक/अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी का दस्तावेज परीक्षण नहीं किया जायेगा।</u>**
4. छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र 4 प्रारूपों (प्रारूप क्रमांक - 5, 6, 7 या 8) में से किसी एक प्रारूप में (च्वाइंस सेंटर से बना निवास प्रमाण पत्र भी मान्य होगा)।

5 दो पासपोर्ट साइज फोटो।

छत्तीसगढ़ राज्य के आरक्षित श्रेणियों के लिये अनिवार्य दस्तावेज –

6. छत्तीसगढ़ राज्य के SC/ST/OBC होने के लिये **स्थायी जाति प्रमाण पत्र** (अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथापि अनारक्षित श्रेणी में मेरिट के आधार पर आबंटन किया जायेगा)। अन्य राज्य के SC/ST/OBC के प्रमाण पत्र धारी को छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने पर भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथापि अनारक्षित श्रेणी में मेरिट के आधार पर आबंटन किया जायेगा।

बी.पी.एल. के लिये अनिवार्य दस्तावेज :-

7. यदि आवेदक बी.पी.एल. परिवार में आता है तो सक्षम अधिकारी से जारी पालक का बी.पी.एल.कार्ड।

यदि आपके पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो डाटाबेस में दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा आपका प्रवर्ग (**category)** SC/ST/OBC को परिवर्तित कर UR कर दी जायेगी एवं आपका आबंटन UR के मेरिट के आधार पर होगा न कि आरक्षित श्रेणी के आधार पर।

उपरोक्त प्रमाण पत्र लेकर जब आप दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जायेंगे तो दस्तावेज परीक्षण केन्द्र के अधिकारियों /कर्मचारियों द्वारा आपके मूल दस्तावेजों से आपके A**pplication cum Option Form** में दी गई जानकारियों का मिलान किया जायेगा एवं यदि इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे सुधारने के लिये कहा जायेगा। यदि आपकी किसी जानकारी जैसे नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि, केटेगरी, क्लास, लिंग आदि मे फार्म भरते समय त्रुटि हो गई हो तो लिखित में आवेदन देकर एवं साक्ष्य प्रस्तुत करके इसे सुधरवाया जा सकता है। जब सभी दस्तावेज सही पाये जायेंगे तो दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा आपका A**pplication cum Option Form** को अंतिम रूप से सबमिट कर दिया जायेगा। सबमिट करने पर A**cknowledgement cum Option Form** प्रदर्शित होगा। इसके बाद इसमें कोई फेर बदल नहीं हो सकेगा। A**cknowledgement cum Option Form** की 1 प्रति प्रिंट की जायेगी एवं इसमें छात्र के हस्ताक्षर लिये जायेंगे तथा परीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर एवं **DVC** की सील भी लगाई जायेगी। **DVC** द्वारा आपको A**cknowledgement cum Option Form** की 1 प्रति दी जायेगी, जिसे आप सुरक्षित रखें। काउंसिलिंग स्थल से बाहर जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि जो फार्म आपको दी गई है वह A**cknowledgement cum Option Form** फार्म ही है एवं उसमें **DVC** की सील लगी है।

निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में नहीं है इसीलिये इन दस्तावेजों को साथ में नहीं लाना है, परंतु इनकी आवश्यकता संस्थानों में प्रवेश लेते समय रहेगी। अतः संस्था में प्रवेश के समय साथ लेकर जायें।

1. SC/ST/OBC वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आय प्रमाण पत्र
2. स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र
3. गेप प्रमाण पत्र (यदि 8वीं से 12वीं/ITI के मध्य अध्ययन में व्यवधान हुआ है तो)
4. माइग्रेशन प्रमाण पत्र (अन्य राज्य के बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिये)

टीप :- यदि आपको किसी सहायता केन्द्र अथवा दस्तावेज परीक्षण केन्द्र से कोई शिकायत हो तो इसकी लिखित शिकायत स्वयं उपस्थित होकर संचालनालय में की जा सकती है।

2.8.4 यदि अभ्यर्थी दस्तावेज परीक्षण हेतु उपस्थित होने में असमर्थ रहता है या दस्तावेज परीक्षण के समय आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो वह अपनी योग्यताक्रमानुसार संस्था/ब्रांच के चयन का अवसर खो देगा तथा बाद में यदि संस्था स्तर की कांउसिलींग होती है तो उसमें प्रवेश हेतु पात्र रहेगा।

2.8.5 गंभीर बीमारी :- यदि कोई अभ्यर्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने के कारण नियत तिथि पर उपस्थित रहने में असमर्थ है और वे इस आशय का चिकित्सा प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/संबंधित चिकित्सालय के प्राधिकृत अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करते है, तो उनके पिता/अभिभावक जिन्हें अभ्यर्थी द्वारा अधिकृत किया है, उसके स्थान पर ***दस्तावेज परीक्षण हेतु*** सम्मिलित हो सकेंगे। ऐसे अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश लेने के उपरांत यदि दस्तावेजों के प्रवेशित संस्था के स्तर पर सत्यापन के समय यदि यह पाया जाता है कि उसके द्वारा गलत जानकारी दी गई है तो उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा और संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही के लिए विभाग सक्षम होगा।

2.8.6 उन संस्थाओं के लिये जिन संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षित प्रवर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो अनारक्षित प्रवर्ग की योग्यताक्रम सूची में स्थान प्राप्त करेंगे उनकी गणना अनारक्षित प्रवर्ग में की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी अपनी इच्छानुसार अनारक्षित प्रवर्ग अथवा संबंधित आरक्षित प्रवर्ग के अंतर्गत उपलब्ध संस्था/ब्रांच का चयन प्राविण्यता के आधार पर कर सकेंगे।

2.8.7 (अ) किसी भी प्रवर्ग के अंतर्गत बिना वर्ग में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थानों को निम्नानुसार अन्य प्रवर्ग में परिवर्तित कर भरा जाएगा।

अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग (ST) के लिये आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जाति (SC) के अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति (SC) के लिये आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जनजाति (ST) के अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। इन दोनों प्रवर्गों के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर इन प्रवर्गों के रिक्त स्थानों को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (क्रीमीलेयर को छोड़कर) प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। जब इन तीनों प्रवर्गों के अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थान अनारक्षित प्रवर्ग (UR) के अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे।

(ब) रिक्त सीटों का परिवर्तन नियमानुसार प्रत्येक चरण में किया जायेगा।

2.8.8 एक बार अभ्यर्थी *काउंसिलिंग* के प्रथम/द्वितीय चरण में किसी पाठ्यक्रम/संस्था में आबंटन प्राप्त कर लेता है और काउंसिलिंग के अगले चरण होते हैं तो अभ्यर्थी उसमें भाग ले सकता है। यदि संस्था स्तर की काउंसिलिंग की अनुमति दी जाती है तो इसमें भी पूर्व प्रवेशित छात्र शामिल हो सकता है।

2.8.9 छात्र द्वारा प्रवेश निरस्त कराने पर फीस वापसी के नियम :-

1. काउंसिलिंग के दौरान अपना प्रवेश रद्द करवाने पर रू.500/- की कटौती संबंधित संस्था द्वारा करने के पश्चात् शेष राशि संबंधित संस्था द्वारा वापस की जायेगी।
2. काउंसिलिंग प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् प्रवेश निरस्त कराने पर प्रवेश तिथि से निरस्त की तिथि तक शिक्षण शुल्क, विकास शुल्क तथा अन्य शुल्क (Tution Fee, Development Fees & Other Fee) की मासिक आनुपातिक राशि की कटौती संस्था द्वारा की जायेगी एवं शेष राशि अभ्यर्थी को संस्था द्वारा वापस की जायेगी। कॉशन मनी पूरी वापस की जायेगी।

   कटौती की जाने वाली फीस की गणना निम्न फार्मूला से की जायेगी :

   Deductable Fees = No. of Admitted months * Total fees/ No. of months in a Semester as declared by University

   फीस में शिक्षण शुल्क, विकास शुल्क एवं अन्य शुल्क सम्मिलित हैं। प्रत्येक माह को 31 दिवस के गुणांक में माना जायेगा। यदि उससे अधिक दिवस होता है तो उसे एक माह के बराबर माना जायेगा।
3. प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश निरस्त कराने पर फीस वापसी फीस विनियामक समिति/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

2.8.10 **संस्था स्तर की काउंसिलिंग :-**

ऑन लाईन काउंसिलिंग की 3 चरण करने के पश्चात् भी यदि संस्थाओं में सीटें रिक्त रह जाती हैं और यदि सक्षम अधिकारी के राय में इसके पश्चात् संस्था स्तर की काउंसिलिंग कराये जाने की आवश्यकता हो तो प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व संस्था स्तर की काउंसिलिंग की अनुमति दी जा सकेगी। संचालनालय से बिना पूर्व अनुमति के संस्था स्तर की काउंसिलिंग नहीं की जा सकेगी।

संस्था स्तर की काउंसिलिंग विभिन्न संस्थाओं द्वारा इस हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर तथा रिक्त सीटों की जानकारी देकर करनी होगी। किसी संस्था में उपलब्ध रिक्त सीट पर अन्य संस्थाओं के छात्रों के अलावा उसी संस्था के पूर्व प्रवेशित छात्र भी अपना ब्रांच परिवर्तन करने के उद्देश्य से प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।

2.8.11 **प्रवेश की अंतिम तिथि :-** डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में सत्र 2016-17 में द्वितीय वर्ष में प्रवेश की अंतिम तिथि **15 अगस्त 2016** निर्धारित की जाती है। इस संबंध में माननीय न्यायालय/शासन का निर्णय अंतिम होगा।

2.9 **<u>संचालनालय/संस्था द्वारा प्रवेश रद्द करना</u>** - यदि यह पाया गया कि कोई अभ्यर्थी किसी संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया गया कि अभ्यर्थी को किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है तो अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश संस्था द्वारा उसके अध्ययनकाल के दौरान तुरंत बिना सूचना के रद्द किया जा सकेगा प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर <u>तकनीकी शिक्षा संचालक छत्तीसगढ़</u> द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

2.10 अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्नों पर तथा प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होने पर छत्तीसगढ़ राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

2.11 छत्तीसगढ़ राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

2.12 **शिक्षण शुल्क -**

अ. शासकीय संस्था हेतु -

क्रमांक	प्रवर्ग का विवरण	वार्षिक आय सीमा (रूपये) समस्त स्त्रोतों से	वार्षिक शिक्षण शुल्क एवं विकास शुल्क
1	अनारक्षित प्रवर्ग	निरंक	रू.5000/-
2	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के अभ्यर्थी जिनके माता/पिता/अभिभावक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय	(अ) 250000 (दो लाख पचास हजार तक है)	देय नहीं (प्रतिपूर्ति होगा)
		(ब) 250000 (दो लाख पचास हजार से अधिक)	पूरा शुल्क देय है।
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जिनके माता/पिता/अभिभावक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय	(अ) 100000/- (एक लाख तक है)	देय नहीं (प्रतिपूर्ति होगा)
		(ब) 100000/- (एक लाख से अधिक तक है)	पूरा शुल्क देय है।

टिप्पणी : वर्ष 2016-17 के लिये शासन यदि कोई परिवर्तन करता है तो वह लागू होगा। उपरोक्त शिक्षण शुल्क एवं विकास शुल्क के अतिरिक्त लगभग रू. 1000/- अन्य फीस भी देय है।

(ब) **निजी संस्था हेतु :- लेटरल एंट्री में सत्र 2016-2017 में सीधे तृतीय सेमेस्टर में प्रवेशित छात्रों की शुल्क सत्र 2015-16 में प्रथम वर्ष के लिये लागू शुल्क के समान होगा।** ''छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008'' के अंतर्गत गठित की गई ''प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति'' द्वारा निम्नलिखित संस्थाओं की सत्र 2015-16 की फीस की निर्धारण कर दिया गया है। इस संबंध में शासन द्वारा आदेश क्रमांक एफ 9-53/2012/42, दिनांक 03.10.2012 एवं 9-31/2013/तक.शि./ 42 दि. 2.08.2013 जारी किया गया है। जो निम्नानुसार है:-

निम्न संस्थाओं हेतु सत्र 2015-16 के लिये निम्नानुसार अंतिम फीस (Final Fees) **निर्धारित है -**

स.क्र.	संस्था का नाम	कुल शुल्क प्रति सेमेस्टर रू.
1	Mansha Polytechnic College Kohka ,Bhilai	15750
2	Agrasen Polytechnic College, Dagniya Gunderdehi , Balod	15750
3	Bharti College of Polytechnic, Durg	15750
4	Shree Sai Polytechnic,Ahiwara, Durg	15750
5	Shree Rawatpura Polytechnic ,Dhaneli, Raipur	15250
6	Bharti College of Engineering & Technology, Durg (2^{nd} Shift)	14625
7	Garv Institute of Management & Technology, Durg (2^{nd} Shift)	14625
8	GD Rungta College of Engg.& Tech., Bhilai (2^{nd} Shift)	14625
9	RSR, Rungta College of Engg. & Technology, Bhilai (2^{nd} Shift)	14625
10	Shri Shankaracharya Institute of Tech. & Management , Bhilai (2^{nd} Shift)	14625
11	Columbia Institute of Engg. & Technology Tekari, Raipur, (2^{nd} Shift)	14125
12	C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (2^{nd} Shift)	14125
13	JK Institute of Engineering Bilaspur (2^{nd} Shift)	14125
14	Kruti Institute of Technology & Engineering (2^{nd} Shift)	14125
15	MM College of Technology, Raipur (2^{nd} Shift)	14125
16	MATS School of Engineering &Tech., MATS University,Arang, (2^{nd} Shift)	14125
17	Rungta Engineering College, Raipur (2^{nd} Shift)	14125
18	Rungta College of Engineering & Technology , Raipur (2^{nd} Shift)	14125
19	Chhattisgarh Engg. College , Dhanora Borsi Durg. (2nd Shift)	13200

आईबीटी कॉलेज ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग, अहिवारा, दुर्ग का सत्र 2013-14 के लिए शासन के आदेश क्रमांक एफ 9-53/2012/42, दिनांक 03.10.2012 द्वारा विकास एवं विविध शुल्क सहित कुल शुल्क प्रति सेमेस्टर रू. 13200/- निर्धारित है। यही शुल्क सत्र 2015-16 के लिए अंतरिम शुल्क मानी जावेगी एवं जब भी अंतिम शुल्क निर्धारित होगा इसका समयोजन किया जायेगा।

टीप : निजी संस्था में शुल्क नगद जमा नहीं किया जाना है। शुल्क संस्था द्वारा निर्धारित राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाते में चालान के माध्यम से, डी.डी., चेक अथवा किसी अन्य बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से ही जमा किये जायें।

2.15 रैगिंग

2.15.1 परिभाषा :- रैगिंग से अभिप्रेत है किसी छात्र को मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता हो या किसी विधिपूर्ण कार्य करने से प्रविरत करना, आपराधिक, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, या उसे क्षति पहुँचाना या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल प्रयोग करना।

2.15.2 रैगिंग का प्रतिशेध :- किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र या तो प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा।

2.15.3 दण्ड :- यदि कोई व्यक्ति रैंगिग के प्रतिशेध के उपबंधों का उल्लंधन करता है तो वह या तो कारावास से जो 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी या जुर्माने से जो 5 हजार रूपये से अधिक नहीं होगी या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय अजमानतीय एवं अप्रशमनीय होगा.

2.15.4 अपराधों का गिरण :-

इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध का गिरण द्वितीय वर्ग न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

2.15.5 छात्र के निष्कासन के लिये निर्योग्यता :-

इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या गिरण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान को, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये अभियुक्त छात्र को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकार होगा।

किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था से निष्कासन के लिये जिम्मेदार होगा।

ऐसा छात्र जो निष्कासित किया गया हो या अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, को किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(वाय.पी.दुपारे)
अवर सचिव
छ.ग. शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग

ABBREVIATIONS

F	-	Female quota seats
S	-	Sainik.
FF	-	Freedom Fighter.
PWD	-	Person with Disablity
SC.	-	Scheduled Caste
ST.	-	Scheduled Tribe
OBC.	-	Other Backward Class
UR	-	UnReserved
OP	-	Open for both Male & Female
CG	-	Chhattisgarh Quota
OS	-	Other State Quota
Mngt	-	Management Quota
CE	-	Civil Engineering
CH	-	Chemical Engineering
CS	-	Computer Science & Engineering
EE	-	Electrical Engineering
ECE	-	Electronics & Communication Engineering
IT	-	Information Technology
ME	-	Mechanical Engineering
MN	-	Mining Engineering
MT	-	Metallurgical Engineering

Table -1

Branch wise Total intake of Polytechnics For Diploma Lateral Entry Session 2016-17 (may be changed)															
S.N.	Name of Institutes	CDDM	CE	CH	CS	EE	EEE	ET & T	IDD	IN	IT	ME	MN	MT	Total
	Govt. Girls Polytechnic, Bilaspur				9			9			9				27
	Govt. Girls Polytechnic, Jagdalpur	6						9			6				21
	Govt. Girls Polytechnic, Raipur	6				9		9	6		6				36
	Govt. Girls Polytechnic, Rajnandgaon	6						8							14
	Govt. Polytechnic, Ambikapur		8		8	8		8				8	8		48
	Govt. Polytechnic, Bijapur		6			6						6			18
	Govt. Polytechnic, Dhamtari		8		12	12		12				12			56
	Govt. Polytechnic, Durg		8		8	12		12			6	12		12	70
	Govt. Polytechnic, Gariyaband		6									6	6		18
	Govt. Polytechnic, Janjgir-Champa		6	6		6		6							24
	Govt. Polytechnic, Jashpur				6			6				6			18
	Govt. Polytechnic, Kabirdham				6	6		6							18
	Govt. Polytechnic, Kanker		6					6				6			18
	Govt. Polytechnic, Khairagarh				8	12		8				8		12	48
	Govt. Polytechnic, Korba					12		6		6		12			36
	Govt. Polytechnic, Koriya		6			6						6			18
	Govt. Polytechnic, Mahasamund		6		6	6						6			24
	Govt. Polytechnic, Narayanpur				6			6			6				18
	Govt. Polytechnic, Raigarh		8		8	16		8				16		8	64
	Govt. Polytechnic, Takhatpur							8				8			16
	Govt. Polytechnic, Mugeli		12												12
	Govt. Polytechnic, Ramanujganj		12												12
	Govt. Polytechnic, Sukma					12									12
	Govt. Polytechnic, Balodabazar					6						6			12
	Govt. Polytechnic, Bhatapara		12												12
	Govt. Coed Polytechnic, Raipur		8			8						8			24
	Govt. Coed Polytechnic, Bilaspur					12									12
	Govt. Coed Polytechnic, Jagadalpur					12									12
	IBTCDE, Ahiwara, Durg		18		6	12		6				18			60
	Mansha Polytechnic, Kohka Road,Durg		10			14						14			38
	NMDC, DAV, Dantewada					12						12			24
	Shri Rawatpura Polytechnic ,Dhaneli, Raipur		6			12						12			30
	Sai Polytechnic, Ahiwara, Durg		12		12	12		12				12			60
	Bharti College of Polytechnic, Durg		12		12	12		12				12			60
	Ayush College of Polytechnic, Meduka, Pendra Road		12			12						12			36
	Agrasen Polytechnic College, Dagniya Gunderdehi , Balod		11			11						11	18		61
	Rungta Engineering College, Raipur (2nd Shift)		14			10						19			43
	Garv Institute of Management & Technology, Durg (2nd shift)		7			7		7				8			29
	GD Rungta College of Engg.& Tech., Bhilai (2nd shift)		19									19			38
	RSR, Rungta College of Engg. & Technology, Bhilai (2nd shift)					19						19			38
	Bharti College of Engineering & Technology, Durg (2nd shift)		10		10							9			29
	Chhattisgarh Engineering College, Borsi-Dhanora Road, Durg (2nd shift)		14									14			28
	MM College of Technology,		7				12					7			26

	Raipur (2nd Shift)														
	Columbia Institute of Engg. & Technology, Raipur (2nd shift)		**12**			**12**						**12**			**36**
	Shri Sankaracharya Institute of Tech. & Management , Bhilai (2nd shift)		**15**									**15**			**30**
	JK Institute of Engineering Bilaspur (2nd Shift)					**12**						**12**			**24**
	Rungta College of Engineering & Technology , Raipur(2nd shift)		**14**									**14**			**28**
	MATS School of Engineering &Tech., Arang, Raipur(2nd shift)		**12**									**12**			**24**
	C.V. Raman University, Kota, Bilaspur(2nd Shift)		**12**		**12**	**12**						**12**			**48**
	Rungta Engg. College Bhilai (2nd Shift)		**12**									**12**			**24**
	Bilaspur College of Polytechnic, Bilaspur		**12**		**12**	**12**							**12**		**48**
	Total	**18**	**353**	**6**	**141**	**342**	**12**	**164**	**6**	**6**	**33**	**413**	**44**	**32**	**1580**

संस्था/ सीटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

प्रमाणपत्रों के प्रारूप

प्रारूप-1

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

(नियम 2.5.1)

अनुभाग .... जिला .... छत्तीसगढ़
पुस्तक क्रमांक ....
प्रमाण पत्र क्रमांक ....   प्रकरण क्रमांक ....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री ....पिता/पति का नाम .... निवासी ग्राम/नगर ....पटवारी हल्का नं. .... वि.खं. .... तहसील ....जिला .... संभाग जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति /जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह .... जाति/जनजाति एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सूची में अनुक्रमांक... पर अंकित है अतः श्री/सुश्री .... पिता/पति का नाम .... अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री .... के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये .... है।

दिनांक- ....

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम एवं सील

प्रारूप-2
छत्तीसगढ़ की अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़ कर) प्रवर्ग
के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले प्रमाण पत्र
(नियम 2.5.1 देखें)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी प्रमाणीकरण

अनुभाग .... जिला .... छत्तीसगढ़
पुस्तक क्रमांक .... प्रमाण पत्र क्रमांक ....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... आत्मज श्री .... निवासी ग्राम ....जिला संभाग .... छत्तीसगढ़ के निवासी है, जो ....जाति के हैं, जिसे पिछडा वर्ग के रूप में छत्तीसगढ़ आदिमजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5/25/4/84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है।

श्री .... और/या उनका परिवार सामान्यतः छत्तीसगढ़ के जिला .... संभाग .... में निवास करता है व छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक .... को प्रवजन कर चुका है।
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री.. *क्रीमीलेयर* (संपन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्णो की प्रवर्ग में नहीं आते है, जिनका उल्लेख भारत सरकार, कर्मियों एवं प्रशिक्षण के परिपत्र क्रमांक 360/2122/93/स्था.(एस.सी.टी.) दिनांक 8-9-93 द्वारा जारी सूची में कालम -3 में तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 7-26/93/1 आ.प्र. दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट ई की अनुसूची के कालम (3)में किया गया है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री ....के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये .... है।
दिनांक ....

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम एवं सील

प्रारूप – 5
स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र
(नियम 2.6.2)

क्रमांक .... दिनांक.............................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री ....

आत्मज/आत्मजा/पत्नी ....निवासी..

तहसील .... व जिला.................... छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है, क्योंकि वह –

1/ निम्नलिखित चार में से किसी एक कण्डिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति करता है :-

1. वह छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है/हुई है।

2. (क) वह,

अथवा

(ख) उसके पालकों में से कोई –

अथवा

(ग) उसके पालकों में से यदि कोई जीवित न हो, तो उसका वैद्य अभिभावक (गार्जियन) छत्तीसगढ़ में निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है।

3. उसके पालकों में से कोई भीः-

(क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्ति कर्मचारी है

अथवा

(ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में सेवारत है,

4. (क) वह स्वयं

अथवा

(ख) उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षो से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं।

परंतु उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसी एक कंडिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति भी करता है।

5. उसने अपनी शिक्षा छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है,

6. उसने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों अर्थात :-

(क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक या उससे उच्चतर उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8 वीं कक्षा की परीक्षा.

(ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटर मीडिएट, हायर सेकेण्डरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो आठवीं कक्षा की परीक्षा.

(ग) अन्य मामलों में पांचवीं कक्षा की परीक्षा,

2/ उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित में से किसी श्रेणी के व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे :-

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को आबंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पत्नी/पति अथवा संतान।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों की पत्नी/पति अथवा संतान।

(ग) छत्तीसगढ़ में संवैधानिक या अन्य विधिक (Statutory) पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पत्नी/पति अथवा संतान।

(घ) राज्य के अधीन स्थापित संस्थाओं या निगम या मंडल या आयोग में पदस्थ पदाधिकारी/ अधिकारी/कर्मचारी, उनकी पत्नी/पति अथवा संतान।

3/ उपरोक्त मापदण्डों के अनुरूप जो व्यक्ति स्थानीय निवासी माना जायेगा, उसकी पत्नी/पति अथवा संतान भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

....

पदनाम एवं सील

प्रारूप - 6

छत्तीसगढ़ शासन अथवा उसके सार्वजनिक उपक्रमों/अर्धशासकीय निकायों व छत्तीसगढ़ के स्थानीय शासनों के कार्मिकों संबंधी प्रमाण-पत्र

(नियम 2.6.2)

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक...................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री...(अभ्यर्थी का नाम) जो डिप्लोमा. द्वितीय वर्ष में प्रवेश का/की अभ्यर्थी है श्री/सुश्री...(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम)का की/संतान है,

क- जो छत्तीसगढ़ शासन के ....विभाग में.....................................पद पर........................... तिथि से पदस्थ छत्तीसगढ़ शासन के कार्मिक हैं।

अथवा

ख- जो छत्तीसगढ़ शासन के ....विभाग में ....पद पर पदस्थ छत्तीसगढ़ शासन के कार्मिक थे ओर..तिथि से इस विभाग से सेवानिवृत्त हुए।

स्थान............................. कार्यालय प्रमुख अथवा विभागाध्यक्ष के

दिनांक........................... (नाम, हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

प्रारूप-7

भारत सरकार अथवा उसके सार्वजनिक उपक्रमों/अर्धशासकीय निकायों के छत्तीसगढ़ में पदस्थ कार्मिकों के स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण पत्र

(नियम 2.6.2)

संदर्भ क्रमॉक.................................... दिनॉक..............................प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री...(अभ्यर्थी का नाम) जो द्वितीय वर्ष डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी है, श्री/सुश्री...(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम)का / की/संतान है, जो.................................तिथि से छत्तीसगढ़ में स्थित इस कार्यालय......................... स्थान...जिला.......................................में.................................. पद पर पदस्थ हैं जो

भारत सरकार के...विभाग

अथवा

भारत सरकार के ....सार्वजनिक उपक्रम

अथवा

भारत सरकार के ....अर्धशासकीय निकाय

का / की कार्मिक है।

स्थान...

दिनॉक.. कार्यालय प्रमुख अथवा विभागाध्यक्ष के नाम, हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

प्रारूप–8

छत्तीसगढ़ में पुनर्वास स्थापन संबंधी प्रमाण पत्र

(नियम 2.6.2)

संदर्भ क्रमांक ....   दिनांक.........................

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री...जो लेटरल एण्ट्री के तहत डिप्लोमा पाठ्यक्रम द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी है। श्री/सुश्री .... का/की/संतान है, जो................................योजना के तहत छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित है। यह योजना भारत शासन/छत्तीसगढ़ द्वारा स्वीकृत पुनर्व्यवस्थापन योजना है।

स्थान ....

दिनांक ....

हस्ताक्षर

कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट
पदनाम एवं सील

प्रारूप–9
जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित की संतान हेतु प्रमाण पत्र
(नियम 2.5.3)

संदर्भ क्रमॉक.......................................   दिनॉक................................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री...(अभ्यर्थी का नाम) जो द्वितीय वर्ष डिप्लोमा.में प्रवेश के अभ्यर्थी है श्री/सुश्री..(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) की संतान है जो जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापित हैं।

स्थान..   ....

दिनॉक...   (हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

प्रारूप-10

छत्तीसगढ़ के कार्मिक जिनकी पदस्थापना आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु जम्मू एवं कश्मीर राज्य में की गई हो की संतान हेतु प्रमाण पत्र
(नियम 2.5.3)

संदर्भ क्रमॉक.................................... दिनॉक..............................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री..(अभ्यर्थी का नाम) जो द्वितीय वर्ष डिप्लोमा में जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित अभ्यर्थियों की स्थानों के विरूद्ध प्रवेश का अभ्यर्थी है, के पिता/माता श्री/सुश्री..छत्तीसगढ़ के कार्मिक हैं जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु पदस्थ हैं जिनकी पदस्थापना दिनॉक..................से दिनॉक.....................तक ....(स्थान का नाम) जिला..में रही है।

स्थान..
दिनॉक..

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

शासन में विभागाध्यक्ष अधिकारी का नाम,
हस्ताक्षर, पद एवं विभाग का नाम